न्यायालय डिविजनल कमिश्नर, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–कैलाश चन्द मीना, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 155 / 2022

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. बलुताराम पुत्र सुरजाराम 2. बाबुराम पुत्र सुरजाराम 3. सहीराम पुत्र सुरजाराम 4. किशनाराम पुत्र फुलाराम (सभी जातियान विश्नोई, निवासी–गण ग्राम चेनसागर, तहसील लोहावट जिला जोधपुर)		1. रामरख पुत्र भींयाराम विश्नोई निवासी ग्राम चेनसागर, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर 2. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार लोहावट जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लोहावट दिनांक 01.07.2022 राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 25 / 2022 अनवान रामरख बनाम तहसीलदार लोहावट

उपस्थित–

1. श्री रोशनलाल, वकील अपीलाण्ट
2. श्री पूनाराम विश्नोई, वकील रेस्पो0 सं0 1
3. श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता राज्य पक्ष की ओर से

निर्णय

दिनांक 27.02.2023

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अपीलाण्ट्स ने उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा राजस्व प्रार्थना संख्या 25 / 2022 रामरख बनाम तहसीलदार लोहावट में पारित आदेश दिनांक 01.07.2022 के विरूद्ध न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर में प्रस्तुत की गई थी, जो रेस्पो सं0 1 के अधिवक्ता की इस्तदुआ पर न्यायालय हाजा में स्थानांतरित होकर प्राप्त हुई।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि तहसील लोहावट स्थित पटवार मण्डल पल्ली के राजस्व ग्राम चेनसागर के खेत खसरा नम्बर 64 रकबा 11.4850 हैक्टेयर भूमि रेस्पो0 सं0 1 व अन्य की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थी–रेस्पो0–रामरख द्वारा इसकी पैमाईश हेतु तहसीलदार लोहावट के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

पर तहसीलदार के आदेश क्रमांक 09 दिनांक 3.6.22 की पालना में हल्का पटवारी द्वारा पैमाईश कर मौका फर्द दिनांक 11.6.22 तैयार की गई तथा पैमाईश अनुसार सीमा चिन्ह पर निशान करवाये गये। मौके पर उक्त खसरे के खातेदार व पडौसी खातेदारों को कणा–माठ बताने पर उनके मध्य विवाद उत्पन्न होने से खूटे नही रोपने दिये गये। इससे रेस्पो0–रामरख द्वारा अपने खेत का सीकांकन करवाकर पत्थरगढी करवाने हेतु उपखण्ड अधिकारी लोहावट के सक्षम अन्तर्गत धारा 111, 128 आरएलआर के तहत प्रस्तुत किया गया। उपखण्ड अधिकारी द्वारा उक्त राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 25/2022 में पारित निर्णय दिनांक 01.07.2022 द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए तहसीलदार लोहावट को आदेशित किया गया कि वह प्रार्थी से नियमानुसार राशि जमा कर उल्लेखित खसरा नं0 64 की सीमाओं का राजस्व टीम गठित कर सीमाज्ञान चिन्हित कर, मौके पर आवश्यक होने पर शान्ति व्यवस्था के लिए पुलिस थाना से ईमदाद ली जाकर विधिवत पत्थरगढी करवायी जावे। जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

बहस सुनी गई। अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस के दौरान मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि रेस्पो0 सं0 1–रामरख द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र यह उल्लेख किया है कि वादग्रस्त खसरा नम्बर 64 की पैमाईश दिनांक 11.6.22 को होने के उपरांत मौके पर पडौसी खातेदारों में सीमा विवाद होने के कारण खुटे व तारबंदी नही की जा सकी, अतः सीमांकन किया जाकर पत्थरगढी करवाने का आग्रह किया गया। इसमें पडौसी खातेदारों को पक्षकार बनाये बिना ही पुलिस इमदाद से पत्थरगढी करवाने का आदेश पारित करवा दिया गया, जो आरएलआर की धारा 111 व 128 के प्रावधानों का उलंगन है। अपीलार्थीगण पडौसी खसरा नं0 63 व 65 के खातेदार होने से व्यथित पक्षकार है। जिनकी सुनवाई के अभाव में पारित अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है। बिना तरमीम के पत्थरगढी व नेखमबन्दी नही की जा सकती है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

जवाब में रेस्पो0 सं0 1 के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में मुख्यतः यह आग्रह किया गया कि जमाबंदी संवत् 2077–80 के अनुसार खसरा नम्बर 63 की भूमि अपीलांट एवं अन्य, कुल 14 काश्तकारों की सह–खातेदारी भूमि है। जिन्हें उक्त अपील में पक्षकार नही बनाया गया है, सिर्फ 04 सह–खातेदारों द्वारा ही उक्त अपील प्रस्तुत की गई है। रेस्पो0 अपने खेत में फसलों की सुरक्षा हेतु पत्थरगढी करवाना चाहता है। अपीलांट भी यदि अपने खसरे का सीमांकन व पत्थरगढी करवाना चाहता है, तो उसे कोई आपत्ति नही है। रेस्पो0–रामरख द्वारा अपने खसरा नं0 64 की पैमाईश हेतु तहसीलदार लोहावट के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसमें तहसीलदार लोहावट के आदेश दिनांक 3.6.22 की पालना में हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 11.6.22 को मौके पर खातेदार एवं पडौसी खातेदार व मौत बिरानों की उपस्थिति में सीमांकन किया जाकर सीमा चिन्ह पर निशान करवाये गये। खातेदारों को कणा–माठ बताई गई। मौके पर सीमा संबंधी विवाद के कारण खुटे नही रोपे जाने के कारण तारबंदी नही हो सकी। इस कारण रेस्पो0 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पुलिस इमदाद में सीमांकन एवं पत्थरगढी करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। मौका फर्द सीमाकंन में पडौसी खसरा नं0 63 व 65 के 3–4 खातेदार मौजूद थे, जिनके हस्ताक्षर किए हुए है। अतः अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इन्हें पक्षकार नही बनाया गया।

इसके अलावा रेस्पो0 सं0 1 के अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी, स्थगन व अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रस्तुत किया गया। जिनमें मुख्यतः यह बताया गया कि खसरा नं0 64 की पैमाईश से यदि खसरा नं0 63 व 65 के सहखातेदार प्रभावित होते तो सभी सह–खातेदार अपील प्रस्तुत करते, जबकि उक्त अपील खसरा नं. 63 के कुल 14 सह–खातेदारों में से 4 सह–खातेदार द्वारा ही पेश की गई है। जो मात्र ख0नं0 64 के सहखातेदारों को परेशान करने के उद्धेश्य से बिना प्रभावित व पीडित होते हुए पेश की गई है। रेस्पो0 सं0 1 खसरा नं0 64 का रेकर्डेड सहखातेदार है, जिसे आरएलआर के तहत अपनी संयुक्त खातेदारी भूमि की पैमाईश व पत्थरगढी का कानूनी अधिकार है। रेवेन्यू कोर्ट मेन्यूअल पार्ट–2 नियम 33 के अनुसार धारा 96 सीपीसी अर्थात अपील पेश करने की अनुमति के प्रार्थना पत्र में

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

पक्षकार का शपथपत्र पेश करने का आज्ञापक प्रावधान है। जबकि अपीलार्थी द्वारा धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र में शपथ पत्र प्रस्तुत नही करने के कारण यह अपील मेन्टनेबल नही है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र खारीज कर प्रस्तुत अपील इसी बिन्दु पर खारीज की जावे। अपीलार्थी खसरा नं0 63 व 65 के सहखातेदार है, उनका खेत मौके पर पूर्ण होने के उपरांत उन्होने बलपूर्वक रेस्पो0 सं0 1 की सहखातेदारी के ख0नं0 64 की पैमाईश के बाद खूटे नही रोपने दिये। इस कारण रेस्पो0 सं0 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्थरगढी करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा अपीलार्थी की अपील मियाद बिन्दु पर भी खारिज योग्य है क्योंकि उसे 11.6.22 को खसरा नं0 64 की पैमाईश होने की जानकारी थी, फिर भी उनके द्वारा धारा 05 के प्रार्थना पत्र में गलत तथ्यों के आधार पर मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की गई है, जो मियाद बिन्दु पर भी खारिज योग्य है। अतः उक्त आधारों पर प्रस्तुत अपील खारीज फरमाने व अपीलाधीन आदेश को यथावत बहाल रखने का आग्रह किया गया।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा पारित निर्णय का समर्थन करते हुए, प्रकट तथ्यों के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करने का आग्रह किया गया।

अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु अवधि गणनार्थ अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र एवं अपील प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु अन्तर्गत 96 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जो न्यायहित में स्वीकार कर अपील का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व उसके सलंग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। जिसके आधार पर यह पाया जाता है कि प्रार्थी–रेस्पा0–रामरख के आवेदन पर तहसीलदार लोहावट के आदेशानुसार मौके पर खसरा नं0 64 की पैमाईश उपरांत अपीलांट्स एवं रेस्पो0 के मध्य सीमा संबंधी विवाद के कारण सीमांकन/नेखमबंदी की कार्यवाही नही की जा सकी। अतः ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संबंधित पक्षकारों की सुनवाई के

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

बिना एकपक्षीय पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.07.2022 न्यायोचित प्रतीत नही होने से खारीज योग्य है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 25/2022 में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.07.2022 निरस्त किया जाता है। साथ ही उक्त प्रकरण उपखण्ड अधिकारी लोहावट को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह वादग्रस्त खसरा नं0 64 का सीमांकन एवं पत्थरगड़ी हेतु अपीलांट्स एवं रेस्पो0 तथा अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारान/खातेदारान/सह–खातेदारान को पक्षकार संयोजित कर उनकी सुनवाई हेतु नोटिस जारी कर, तामिली पश्चात विधिसम्मतः सीमांकन एवं पत्थरगड़ी संबंधी आदेश पारित करावे।

निर्णय आज दिनांक 27 फरवरी, 2023 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

27/2/23

(कैलाश चन्द मीना)
डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर